उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिए धनराशि

9491. श्री राम अवध : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों और कस्बों के पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : राज्य सरकार की सूचनानुसार, 1980-85 की अवधि के लिए 6.7 लाख व्यक्तियों के वास्तविक लक्ष्य सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों तथा नगरों में मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधारार्थ राज्य योजना में 10 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

Establishment of Meat-Cum-Bone Meal Industry Near Slaughter Houses

9492 SHRI SUSHIL BHATTACHARYA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a developed meat-cum-bone meal industry has any relevance with the clean environment in the areas where slaughter houses are situated;

(b) if so, whether Government have any intention to encourage this industry as a measure for environmental cleanliness; and

(c) if not, the reasons for the same with Government's alternative plan for clean environment at lowest cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes, Sir.

Developed meat-cum-bone meal industry is relevent to clean environment in the areas where slaughter houses are situated.

(b) Construction and maintenance of slaughter houses is a State subject. The States are taking suitable steps. Wherever modern slaughter houses have been constructed and adequate quantity of condemned carcasses and slaughter house offals are available for economic processing, animal by-products plants have been erected for the manufacture meat-cum-bone meal on scientific lines.

(c) Does not arise.

किसानों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय चीनी संस्थान द्वारा उनको मुआवजा दिया जाना

9493. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए सरकार ने नारामाऊ और बेरी बांगर गांवों के सभी किसानों को मुआवजा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के लिए भूमि अभिग्रहण करने के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा जिन दरों का हिसाब लगाया गया था, सभी पार्टियों को उन्हीं दरों पर मुआवजे का भुगतान किया गया था । न्यायालय के आदेशों के अनुसार 23 पार्टियों को अधिक मुआवजा दिया गया है । हाल ही में 2 मामलों में अधिक मुआवजा देने के बारे में जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की कानूनी दृष्टि से जांच की जा रही है ।